तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमाराम बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 232 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.20	अपीलार्थी ओमाराम पुत्र हणूतराम विश्नोई, पता जम्भेशवर नगर, बागड़ों की ढाणी, कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.09..20 में उसके द्वारा (1) राजस्व ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधुपर के खसरा नम्बर 540 की जमीन को सेटलमेंट के समय भूमिहीनों को आवंटित की गई थी उस आवंटित जमीन / खसरों के सेटलमेंट से लेकर सूचना उपलब्ध कराने की दिनांक भरे गये फौतदगी नामान्तरण एवं बेचान पश्चात् भरे गये नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	